

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक- प0 12(3)वन/2011


जयपुर, दिनांक- 17.8.12

आदेश

राज्यादेश क्रमांक प0 12(3)वन/2011 जयपुर, दिनांक 11.7.2012 से वन विभाग के संगठनात्मक कामों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके अनुसार जयपुर जिले में पूर्व में विद्यमान 3 वन मण्डलों नामतः जयपुर (उत्तर), जयपुर (मध्य) एवं जयपुर (दक्षिण) के स्थान पर अब मात्र 2 वनमण्डल- जयपुर (उत्तर) तथा जयपुर (दक्षिण) ही रखे गये हैं तथा जयपुर (मध्य) वनमण्डल के अधीन रहे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों और इनके अलावा अजमेर, बीसलपुर, सीकर व झुझुनू जिलों के कन्जरवेशन रिजर्व क्षेत्रों को नवीन जयपुर (वन्यजीव) मण्डल में रखते हुए अन्य वन क्षेत्रों को जयपुर (दक्षिण) व जयपुर (उत्तर) वनमण्डल में शामिल करने प्रस्तावित है। इसके परिणामस्वरूप जयपुर (उत्तर) एवं जयपुर (दक्षिण) वनमण्डलों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम वनमण्डल	अधीनस्थ सहायक वन संरक्षक पद	अधीनस्थ रेंज
1.	जयपुर (दक्षिण)	1. जयपुर (दक्षिण) मुख्यालय जयपुर	1. जयपुर प्रादेशिक 2. आमेर 3. बस्सी 4. जयपुर (शहर) 5. पालीथिन संयंत्र
		2. दूद मुख्यालय दूद	1. दूद 2. फोगी
2.	जयपुर(उत्तर) मुख्यालय, शाहपुरा	1. जयपुर(उत्तर), मुख्यालय शाहपुरा	1. शाहपुरा 2. अचरोल 3. चौमू
		2. कोटपुतली, मुख्यालय कोटपुतली	1. कोटपुतली 2. पावटा 3. विरोटनगर
3	जयपुर (वन्यजीव)	1. वन्यजीव जमवारामगड, मुख्यालय जमवारामगड	1. जमवा रामगड 2. रायसर
		2. वन्य जीव नाहरगड, मुख्यालय जयपुर	1. नाहरगड
		3. वन्य जीव- अजमेर, मुख्यालय अजमेर	1. बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व 2. सोखलिया
		4. वन्य जीव सीकर, मुख्यालय, सीकर	1. शाकभरी कंजर्वेशन रिजर्व 2. फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व 3. झुझुनू कंजर्वेशन रिजर्व

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ० वी० एस० सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदया ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान जयपुर ।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग ।
5. संबंधित वनाधिकारीगण द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव